प्रेस नोट दिनाँक 12.04.2021

(1). आज दिनाँक-12.04.2021 को पुलिस लाइन चित्रकूट में श्री शैलेन्द्र कुमार राय अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा जनपदीय पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए जनपद महोबा एवं प्रयागराज चुनाव डियूटी हेतु बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया । अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त पुलिस कर्मियों को ब्रीफ करते हुए बताया कि कोई भी पुलिस कर्मी चुनाव डियूटी में किसी भी प्रकार की लापरवाही नही करेगा, जनपद महोबा एवं प्रयागराज में सभी लोग निर्धारित स्थान पर ठहरेगें कोई भी अपने घर नही भागेगा । महोदय द्वारा बताया गया कि क्षेत्राधिकारी श्री उदयवीर सिंह चन्देल के नेतृत्व में पुलिस बल जनपद रवाना किया जा रहा है किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अपने टोली प्रभारी के माध्यम से क्षेत्राधिकारी श्री उदयवीर सिंह चन्देल को अवगत कराये । क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय द्वारा बताया गया कि गर्मी का मौसम है इसलिए सभी लोग अपने साथ पानी की बोतल व खाने के लिए हल्का कुछ न कुछ रखें जिससे कि भूख लगने पर खाया जा सके, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने हेतु बताया गया। कोई भी किसी के लालच या प्रलोभन में नही आएगा । सभी लोग निर्धारित बसों में अनुशासन से जाएंगे, कोई भी पुलिसकर्मी प्राइवेट वाहन से नही जाएगा । जनपद के बॉर्डर बरगढ़ एवं रसिन एवं शिवरामपुर पर चेकिंग कराते हुए फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की जाएगी इसलिए कोई भी पुलिसकर्मी बस से रास्ते में नही उतरेगा । शिवरामपुर कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए सभी को मास्क लगाने हेतु, सेनेटाइजर का प्रयोग करने हेतु बताया गया । प्रतिसार निरीक्षक महोदय द्वारा प्रत्येक टोली प्रभारी को अपनी टोली के लिए फर्स्ट एड बॉक्स प्रदान किया गया । सभी पुलिस कर्मियों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करायी गयी।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान में दिनाँक 11.04.2021 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना मानिकपुर में 06 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी चुनाव के दृष्टिगत रखते हुये अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 39 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(क). श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक राजापुर द्वारा अभियुक्त 1.नितेश उर्फ गोलू पुत्र रामप्रकाश 2. शिवचरण उर्फ बबली पुत्र मंगल राम निवासीगण वीरधुमाई सुर्की 3.पंकज नयन उर्फ छोटवा पाण्डये पुत्र रामसूरत निवासी बरद्वारा 4.अर्जुन 5.युधिष्ठिर पुत्रगण सुर्यभान निवासीगण गौहानी कला 6. विमलेश पुत्र जिया लाल निवासी वक्ता खुर्द 7. शारदा पुत्र फूलचंद्र 8.दिनेश पुत्र राजकुमार निवासीगण बिहरवां 9. जितेंद्र पुत्र शिव सिंह 10.संतोष पुत्र गजराज निवासीगण चांदी 11.उदयभान पुत्र गयाप्रसाद निवासी चिल्लीमल 12.रावेंद्र सिंह पुत्र सत्यबीर सिंह निवासी सगवारा 13.सागर उर्फ कल्लू पुत्र अभिमन्यु निवासी सगवारा 14. रामचंद्र 15. शिवचंद्र पुत्रगण भुन्नी निवासीगण कलवलिया 16.मनमोहन पुत्र सूरज बली निवासी कनकोटा 17.पप्पू उर्फ पड्डलिया पुत्र बगौता निवासी कनकोटा 18. नत्थू उर्फ़ राकेश पुत्र बद्री निवासी चिल्लीराकस 19.रामअवतार पुत्र दुख्खा निवासी बरद्वारा 20. पंकज सिंह पटेल पुत्र केशव प्रसाद निवासी चनहट 21. कल्लू उर्फ लवकुश पुत्र गया प्रसाद निवासी चिल्लीमल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(ख). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाष चन्द्र चौरसिया द्वारा अभियुक्त 1.रानी पुत्र लवकुश बडगइया 2. रंगीलाल पुत्र बाबूभाई 3.भारत पुत्र रामखेलावन निवासीगण सरैया 4.राममिलन पुत्र दयाराम 5.सूर्यभान पुत्र मुन्नीलाल निवासीगण गढ़ारपुरवा सरैया 6.रामजस पुत्र रामदीन निवासी सरैया 7.कौशल पांडेय पुत्र राजाराम निवासी पोखरी पुरवा सरैया 8.नंदकिशोर पुत्र शिव भोलाचौबे 9.विकास पुत्र राजदिनेश उपाध्याय 10.राकेश पुत्र गौकरन 11.अलखराम पुत्र चुनकावन

12.कमल यादव पुत्र सूरजदीन निवासीगण सरैया थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(ग). प्रभारी निरीक्षक मारकुंडी श्री रमेशचंद्र द्वारा अभियुक्त 1.शत्रुघ्न पुत्र कुंवारेलाल 2.कमलेश पुत्र अच्छेलाल निवासीगण अमचुरनेरूआ 3. शारदा कोल पुत्र रामलखन 4. हंसराज पुत्र सरवन 5. संतोष पुत्र रामलखन 6.कल्लू पुत्र केशन निवासीगण किहूनिया थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गई।

(4), त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब व 30 किलो लहन बरामद किया गया।

(क). चौकी प्रभारी जिलाकारागार श्री अजय कुमार द्वारा अभियुक्त सतेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र राजाराम निवासी बूढ़ा थाना को0 कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 कर्वी मे धारा 60 आबकारी अधिनियम अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरामदगीः-

10 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी जिलाकारागार श्री अजय कुमार
2. आरक्षी अतुल मिश्रा

(ख). चौकी प्रभारी सरैंया श्री संदीप सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रामेन्द्र लोथ पुत्र धर्मपाल निवासी अमरहा पुरवा मजरा हनुआ 10 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण व 30 किलो लहन के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदशुदा लहन मौके पर नष्ट किया गया।

वरामदगीः-

10 लीटर कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण व 30 किलो लहन

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सरैंया श्री संदीप कुमार पटेल
2. आरक्षी दुर्गेश यादव
3. आरक्षी राघवेंद्र यादव

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी चुनाव के दृष्टिगत रखते हुये अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री रोहित तिवारी तथा उनके हमराही द्वारा जिलाबदर अभियुक्त दशरथ उर्फ गप्पू पुत्र फूलेश निवासी छीतूपुर थाना बहिलपुरवा चित्रकूट को जिलाबदर के नियमों का उल्लंघन करते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 29/21 धारा 10 यूपी0 गुण्डा एक्ट पंजीकृत किय गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री रोहित तिवारी थाना बहिलपुरवा
2. आरक्षी रामकेश
3. आरक्षी सरमन

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री गुलाब त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक मऊ के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ गोलू पुत्र दामोदर पाठक निवासी पूरब-पताई थाना

मऊ जनपद चित्रकूट को 650 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 66/21 धारा 8/ 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य थाना मऊ

2. मुख्य आरक्षी चन्द्रकेश पाण्डेय

3. आरक्षी हृदेश कुमार

4. महिला आरक्षी प्रियंका तिवारी

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री धनन्जय राय थाना भरतकूप तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 435/09 धारा 279/304ए भादवि के वारंटी अभियुक्त जागेश्वर पुत्र स्वर्गीय मेढ़ा निवासी करारी तथा मु0अ0सं0 390/15 धारा 216ए भादवि व 12/14 डीएए एक्ट के वारण्टी अभियुक्त कामता प्रसाद यादव पुत्र कुन्नी यादव निवासी कोड़नपुरवा मजरा खम्हरिया थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री धनन्जय राय थाना भरतकूप
2. आरक्षी विकास
3. आरक्षी अमित कुमार वर्मा

(8). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 12.04.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा बाजार, डॉट पुल, उमरी बैंक, गांधीनगर, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा परानू बाबा मन्दिर , जमीरा कॉलोनी व पाण्डेय मार्केट में, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में सब्जी मण्डी, रामलीला मैदान, आनन्दी माता मंदिर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियों टीम महिला थाना द्वारा भैरोपागा रोड, चुंगी चौराहा, काली माता मंदिर में भ्रमण कर महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया। एण्टी रोमियों टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(9). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, क्षेत्राधिकारी मऊ व क्षेत्राधिकारी नगर/राजापुर के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों ने पुलिस टीम के साथ अपने-अपने क्षेत्र में पैदल गस्त/रूट मार्च एवं जनचौपाल कर ग्रामीणों से जनसंवाद कर निर्भीक एवं स्वतंत्र रूप से मतदान करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की गयी कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें, अवैध शराब का सेवन बिल्कुल न करें एवं अवैध कार्य करने वालों की सूचना पुलिस को दे।

(10). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री सुबोध गौतम द्वारा आर्यावर्त बैंक शाखा मऊ में एवं थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के बैंक एवं वित्तीय संस्थानों चेकिंग की गयी । चेकिंग के दौरान बैंक

परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों को चेक कर परिसर में अनावश्यक बैठे व्यक्तियों से उनके रूकने का कारण पूछा गया। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरा, अलार्म एवं डियूटी रजिस्टर को चेक कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

(11). आज दिनाँक-12.04.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री रामप्रकाश उपजिलाधिकारी कर्वी एवं श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय क्षेत्राधिकारी नगर की अध्यक्षता में कोतवाली कर्वी परिसर में रेलवे स्टेशन रोड एवं मिशन रोड पर रेड़ी(ठिलिया) सब्जी विक्रेता एवं अन्य दुकानदारों के साथ गोष्ठी कर आवश्यक निर्देश दिये। महोदय द्वारा सभी को निर्देश दिये कि कोई भी व्यापारी अपनी रेड़ी तथा सामान रोड पर नही लगाया न ही अतिक्रमण करेगा। यातायात व्यवस्था को समुचित बनाए रखने में सहयोग करें। क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत सभी दुकानदारों से मास्क लगाने हेतु बताया तथा निर्देश दिये कि दुकान पर 05 से ज्यादा व्यक्ति को इकट्ठा न करें सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करें। बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामग्री बिल्कुल न दें।